

Blau

21/1/23 पत्रावली पेश हुई। पीठवासी अधिवक्ता  
दोष कायों में व्यस्त है, पिछले इत्यादि  
होकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार  
आईन्दा दिनांक 21/1/23 को पेश हो।

15/3/23 अधिवक्तागव हज़ाराल में होने के कारण पत्रावली  
आईन्दा दिनांक 19/4/23 को पेश हो।

19/04/23 पत्रावली पेश हुई। मंत्रालयिक अधिवक्ता हज़ाराल में होने  
के कारण पत्रावली आईन्दा दिनांक 24/04/23 को पेश हो।

24.04.23 पत्रावली पेश हुई। वकील धार्वी उपना वकील धार्वी ने  
धार्वीना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 CPC आवेदन पत्र  
में आवेदन संबंधित करने बाबत पेश कर निवेदन किया कि  
धार्वी सं. 1 धार्वीगण का पुरानी स्वतंत्र नही है तथा  
गलती से उक्त आवेदन में प्रस्ताव बन गया है इसलिए  
धार्वी सं. 1 का नाम रखने का आदेश फरमावे। धार्वी  
वकील द्वारा प्रस्तुत धार्वीना न्यायिक में स्वीकार किया जाकर  
धार्वी सं. 1 का नाम रखने के आदेश दिये जाते हैं।  
वकील धार्वी ने संबंधित अधिवक्ता पेश किया जिसे शामिल  
पत्रावली किया जाता है। वकील धार्वी ने बहल सुनने का  
निवेदन किया। वकील धार्वी की बहल सुनी गई। बहल पर  
मानन किया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया  
संबंधित आवेदन का अवलोकन करने से पतील होला है  
कि धार्वी वकील का धार्वीना पत्र स्वीकार करने योग्य है।  
अतः नैरवमधारी निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल  
पत्रावली किया गया। पत्रावली फ़ैसल सुमार दोहरा वकील  
दफ़तर हो लेखना से कर हो।

Blau

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 80/2022 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

रिडमलराम वगैरा बनाम खीरा वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रार्थी वकील - श्री श्रीराम विश्नोई

**निर्णय**


दिनांक - 24/04/23

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र सालारिया भू.अ.नि. क्षेत्र सेड़वा के मौजा सालारिया के खेत खसरा संख्या 660/371 रकबा 1.4650 हैक्टर व खसरा संख्या 661/371 रकबा 1.4650 हैक्टर, खसरा संख्या 661/371 रकबा 1.7806 हैक्टर, कुल रकबा 3.2456 हैक्टर किस्म बाराणी सोयम स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र सालारिया भू.अ.नि. क्षेत्र सेड़वा के मौजा सालारिया के खेत खसरा संख्या 660/371 रकबा 1.4650 हैक्टर व खसरा संख्या 661/371 रकबा 1.4650 हैक्टर, खसरा संख्या 661/371 रकबा 1.7806 हैक्टर, कुल रकबा 3.2456 हैक्टर किस्म बाराणी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।  
निर्णय आज दिनांक 24/04/23 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

  
(रामजी भाई कलबी)

उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी	<p>1. रिडमलराम पुत्र वरिंगाराम 2. सताराम पुत्र रिडमलराम 3. रामजीवन पुत्र रिडमलराम जातियान विश्नोई, निवासी सालारिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर</p>	बनाम	<p>विप्रार्थीगण 1. खीरा पुत्र साजन 2. रूपाराम पुत्र पुनाराम 3. प्रकाश कुमार पुत्र पुनाराम 4. धापू पत्नि जेराम जाति—मेघवाल, निवासी सालारिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर 5. फतूखां पुत्र मसूखां 6. जामन खां पुत्र मसूखां 7. दोदाखां पुत्र मसूखां 8. इस्माईल पुत्र अरबाब 9. लतीफ पुत्र अरबाब 10. बचल पुत्र अरबाब 11. खमीशा पुत्र अरबाब जातियान—मुसलमान, निवासी सालारिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 12. तहसीलदार सेड़वा</p>
----------	--	------	---

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।  
राजस्व आवेदन संख्या 80/2022

दिनांक : 24/04/23

## आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र सालारिया भू.अ.नि. क्षेत्र सेड़वा के मौजा सालारिया के खेत खसरा संख्या 660/371 रकबा 1.4650 हैक्टर व खसरा संख्या 661/371 रकबा 1.4650 हैक्टर, खसरा संख्या 661/371 रकबा 1.7806 हैक्टर, कुल रकबा 3.2456 हैक्टर किस्म बारानी सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

(रामजी भाई केशकी)  
उपखण्ड अधिकारी  
0/सेड़वा

दिनांक 24/04/23

क्रमांक/भू.अ./2023/692-95

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ—

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी रिडमलराम पुत्र वरिंगाराम वगैरा।
3. विप्रार्थीगण खीरा पुत्र साजन वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाऊ।

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा  
0/सेड़वा